

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/ 9440

जयपुर, दिनांक: 15/12/14

प्रेषक-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति-

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर पंचायत)।

विषय:- पंचायत चुनाव- निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:- आयोग का पत्रांक- एफ. 6(1)(5)पंचायत/रानिआ/94 दिनांक 20.12.94 एवं प.
7(1)(1)पंचा/रानिआ/94/6069 दिनांक 8.12.2009।

महोदय,

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 एवं 56 के अंतर्गत पंच व सरपंच हेतु निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना तथा नियम 58 के अंतर्गत पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन की अधिसूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जारी की जाती है। किन्तु नियमों में उक्त सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना जारी करने हेतु कोई प्रारूप विहित किया हुआ नहीं है। अतः आयोग के संदर्भित पत्र के द्वारा निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया बताते हुए मॉडल फॉर्म विहित किये गये थे। उक्त मॉडल फॉर्मों में, पदों एवं सीटों के आरक्षण का विवरण तथा नियम 58 के अंतर्गत जारी की जाने वाली अधिसूचना में नाम निर्देशन पत्रों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जाने संबंधित अंकन करने संबंधी, संशोधन अपने पत्रांक एफ. 7(1)(1)पंचा/रानिआ/94/6069 दिनांक 8.12.2009 द्वारा किये जाकर पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2010 के समय प्रेषित किये गये थे।

अतः आम चुनाव 2015 में भी सार्वजनिक सूचना एवं अधिसूचना जारी करने के संबंध में संदर्भित पत्रों के अनुसार कार्यवाही की जानी है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार.

(सत्यप्रकाश बसवाला)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/ 9441-42

जयपुर, दिनांक: 15/12/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
2. कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उपसचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमंक : एफ. 6 (1) (5) पंचा/रा.नि.आ/94/1144

जयपुर, दिनांक : 20.12.94

प्रेषक

मुख्य निर्वाचक अधिकारी एवं सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषित

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

(कलकत्ता), जिला

विषय:- पट्ट पंचायत आम चुनाव- निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना। अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 में यह प्रावधान है कि आयोग के साधारण निर्देश के अधीन रहते हुए जब कभी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबन्धों द्वारा किसी पंचायत मार्केत में पंचों का साधारण निर्वाचन कराया जाना आवश्यक हो जावे या अपेक्षित हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) सार्वजनिक नोटिस द्वारा पंचायत मार्केट में, के वार्ड/वार्डों से प्रत्येक से एक पंच का निर्वाचन सार्वजनिक नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर करने की अपेक्षा करेगा। पूर्वोक्त नियमों के नियम 56 में उपबोधित है कि नियम 23 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी साधारण निर्वाचन के प्रत्येक अवसर पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन पंचायत के संपंच का निर्वाचन उमकें पंचों के निर्वाचन के साथ-साथ कराया जायेगा।

इसी तरह नियम 58 में प्रावधान है कि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), आयोग द्वारा अवधारित समय अनुसूची के अनुसार अधिसूचना द्वारा जिले में पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों और जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक से एक सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करेगा।

अतः आगामी पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित कार्यक्रम की वापण हो जानें पर आगकें द्वारा उपरोक्त नियमों के अनुसार सार्वजनिक नोटिस एवम् अधिसूचना जारी की जावेगी। नियमों में न तो सार्वजनिक नोटिस व अधिसूचना का कोई प्ररूप चिह्नित किया हुआ है और न यह बताया गया है कि इनके जारी करने की प्रक्रिया क्या होगी। इस कठिनाई के निराकरण हेतु नियम 91-क के उपपरन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वृद्धो हुए आयोग ने नियम-23 के साथ-साथ नियम 56 के अधीन जारी होने वाली निर्वाचन की सूचना का सार्वजनिक नोटिस का मॉडल फॉर्म और नियम 58 के अधीन जारी होने वाली निर्वाचन की सूचना यदि अधिसूचना का मॉडल फॉर्म तैयार किये हैं जो कि संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। इन मॉडल फॉर्मों को मुद्रित नहीं कराया गया है। क्योंकि इन फॉर्मों की प्रत्येक प्रति को भ्रष्टाचार तैयार करने में बहुत समय लगेगा। अतः निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी होने ही आम निर्वाचन के प्रथम, द्वितीय, या तृतीय चरण, यथा-स्थिति अनुसार, निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर इन फॉर्मों में तिको स्थानों की पूर्ति कराकर स्टैन्सिल कटवा लें और स्टैन्सिल पर हस्ताक्षर करके आवश्यकतानुसार प्रतियां साईकलोस्टाइल कालें। वैधानिक अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु नियम 23 व 56 के अधीन प्रत्येक पंचायत मार्केट के लिए जारी होने वाली निर्वाचन की सूचना की एक-एक प्रति और इसी प्रकार जिला परिषद और पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियम 58 के अधीन जारी होने वाली प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित निर्वाचन की सूचना की एक-एक प्रति पर अपने हस्तालिखित हस्ताक्षर कर के कार्यालय अभिलेख में अवश्य रख लें।

यह उल्लेखनीय है कि रिटर्निंग अधिकारियों में सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियमों के प्रावधानों के अनुसार सम्मिलित हैं। उक्त निर्वाचन के लिए नियुक्त किये गये सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के मुख्यालय रिटर्निंग अधिकारी के मुख्यालय से भिन्न भी होंगे लेकिन जहां प्रश्न नाम निर्देशन-पत्र में की प्राप्ति, उनकी संवीक्षा, नाम वापसी एवं चुनाव चिह्न आवंटन का है, यह कार्य एक ही मुख्यालय पर होना चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी एवं उसके मुख्यालय पर कार्यरत सहायक रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा ही उक्त कार्य सम्पन्न होना चाहिए। संवीक्षा के समय भी सहायक रिटर्निंग अधिकारी सहयोग करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय रिटर्निंग अधिकारी का ही होगा। अगर रिटर्निंग अधिकारी का कार्यभार अधिक है और आवश्यकता समझी जावे तो उन सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को जिनका कि वर्तमान पद स्थापन रिटर्निंग अधिकारी के मुख्यालय से बाहर है तो उनको भी नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, जांच, नाम-वापसी एवं चुनाव चिह्न आवंटन के समय रिटर्निंग अधिकारी के मुख्यालय पर ही उपलब्ध कर लिया जाय, लेकिन जहां तक संभव हो नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति आदि का कार्य एक मुख्यालय से अधिक पर नहीं रखा जावे। अतः उक्त दृष्टिकोण रखते हुये ही आप नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा के लिए नियुक्त स्थान की पूर्ति अधिसूचना में करें। पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतु नामनिर्देशन-पत्र प्राप्ति का स्थान तथा-संभव पंचायत समिति मुख्यालय पर ही रखा जावे।

निर्वाचन की इन सूचनाओं यानि सार्वजनिक नोटिसों और अधिसूचनाओं का राजपत्र में प्रकाशन नहीं कराना है। इनकी प्रतियां निर्मांकित स्थानों पर निश्चित तारीख पर चम्पा कराये जाने की सुनिश्चित व्यवस्था करनी है:-

- (1) कलेक्टर कार्यालय के सूचना-पट पर
- (2) जिला परिषद के सूचना-पट पर
- (3) पंचायत समिति के सूचना-पट पर
- (4) पंचायत के सूचना पट्ट पर
- (5) पंचायत के प्रत्येक वार्ड में एक या दो सहज-दृश्य स्थान पर
- (6) अन्य स्थान जहां आप उचित समझें।

निर्वाचन की सूचना में वह स्थान जहां नामनिर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जावेंगे, स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और इस तथ्य की जानकारी सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को भी करा दी जावे। निर्वाचन की सूचनाओं का व्यापक प्रचार स्थानीय समाचार पत्र, आदि के माध्यम से भी कराया जावे।

संलग्न:-2

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ. 6 (1) (5) पंचा/रानिआ/94/1144

जयपुर, दिनांक : 20.12.94

प्रतिलिपि रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद सदस्य चुनाव/पंचायत समिति सदस्य चुनाव जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर), जिला को दोनों निर्वाचन की सूचनाओं के प्रारूपों की एक एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-2

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक-एफ6(1)(1)पंचा/रानिआ/94/6069

दिनांक:- 5.12.2009

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

प्रेषित,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर)

विषय:-पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना-अधिसूचना जारी करने हेतु मॉडल फार्म।

संदर्भ:-राज्य निर्वाचन आयोग का पत्रांक एफ6(1)(5)पंचा/रानिआ/94/ दिनांक 20.12.94

महोदय,

राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 व 56 के अन्तर्गत पंच व सरपंच हेतु निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना तथा नियम 58 के अन्तर्गत पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य हेतु निर्वाचन की अधिसूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जारी की जाती है। उक्त सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना जारी करने हेतु नियमों में कोई प्ररूप विहित किया हुआ नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भित पत्र के द्वारा निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया बताते हुए इनके मॉडल फार्म भी विहित किये गये थे। उक्त मॉडल फार्म में पंचो/सदस्यों/सरपंचो की सीटों/पदों के आरक्षण की स्थिति बताने का स्थान वर्णित नहीं किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में जब सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना प्रकाशित की जावे तो उनके संलग्न पदों/सीटों के आरक्षण की स्थिति का विवरण (Statement) भी चस्पा किया जावे। इस प्रयोजन में इसका अंकन सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना में भी किया जाना अपेक्षित है।

नियम 58 के अन्तर्गत जारी की जाने वाली निर्वाचन की अधिसूचना में नाम निर्देशन पत्रों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जाने से संबंधित अंकन मॉडल फार्म में नहीं है जिसके लिए संशोधन अपेक्षित है।

अतः संदर्भित पत्र द्वारा उक्त दोनों विहित मॉडल फार्म के प्ररूपों में संशोधन कर संलग्न प्रेषित किये जा रहे हैं। सुलभ संदर्भ के लिए संदर्भित पत्र की प्रति भी संलग्न है।

कृपया पंचायत समितियों के रिटर्निंग अधिकारियों को भी उपरोक्तानुसार अवगत करावे।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(आर.के. जैन)

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

निर्वाचन की सूचना

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 एवं 56 के अंतर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि :-

- (1) यतः राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार पंचायत समिति के पंचायत सर्किल में पंचों का साधारण निर्वाचन कराया जाना आवश्यक हो गया है,
- (2) अतः राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूर्वोक्त पंचायत सर्किल के समस्त मतदाताओं से, इस सूचना में निम्नांकित रूप से अवधारित समय अनुसूची के अनुसार अपने-अपने वार्डों से प्रत्येक से एक पंच का निर्वाचन और इसके साथ साथ पंचायत के सरपंच का निर्वाचन करने की अपेक्षा की जाती है,
- (3) नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग अधिकारी को अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः दिनांक 20 को 8 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न के मध्य पंचायत केन्द्र (नाम) पर परिदत्त किए जा सकेंगे,
- (4) नामनिर्देशन-पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समयों पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे,
- (5) नामनिर्देशन-पत्र संवीक्षा के लिए पूर्वोक्त तारीख और स्थान पर 11.30 बजे पूर्वाह्न लिए जाएंगे,
- (6) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः रिटर्निंग अधिकारी की पूर्वोक्त तारीख और स्थान पर 3.00 बजे अपराह्न से पूर्व परिदत्त की जा सकेगी,
- (7) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में तारीख 20 को 8.00 बजे पूर्वाह्न और 5.00 बजे सांय के मध्य पंचायत मुख्यालय और (पंचायत मुख्यालय से भिन्न यदि कोई स्थान रखा गया हो तो उसका नाम) पर निश्चित मतदान बूथों पर मतदान होगा।
- (8) पूर्वोक्त पंचायत सर्किल के पंचों की सीटों एवं सरपंच के पद की आरक्षण की स्थिति संलग्न स्टेटमेंट में वर्णित है।

स्थान

तारीख

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलक्टर)

निर्वाचन की सूचना

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 के अंतर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि :-

- (1) जिला में पंचायत समिति के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों और जिला परिषद के उन निर्वाचन क्षेत्रों, जो पूर्वोक्त पंचायत समिति के क्षेत्र में समाविष्ट हैं, के मतदाताओं से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित निम्नांकित समय अनुसूची के अनुसार, यथास्थिति, पंचायत समिति के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों और जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक से एक सदस्य का निर्वाचन करने की अपेक्षा की जाती है ,
- (2) नामनिर्देशन-पत्र
 - (क) पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए तदर्थ नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी (.....) को (स्थान का नाम) या सहायक रिटर्निंग अधिकारी (.....) को (स्थान का नाम) पर दिनांक के अपश्चात् किसी भी कार्य दिवस को 11.00 बजे पूर्वाह्न और 3.00 बजे अपराह्न के मध्य अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः परिदत्त किए जा सकेंगे, और
 - (ख) जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए तदर्थ नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी (.....) को (स्थान का नाम) या सहायक रिटर्निंग अधिकारी (.....) को (स्थान का नाम) पर दिनांक के अपश्चात् किसी भी कार्य दिवस को 11.00 बजे पूर्वाह्न और 3.00 बजे अपराह्न के मध्य अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः परिदत्त किए जा सकेंगे, और
- (3) नामनिर्देशन-पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समयों पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे,
- (4) नामनिर्देशन-पत्र संवीक्षा के लिए, यथास्थिति, पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित तदर्थ नियुक्त पूर्वोक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा (स्थान का नाम) पर और जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित तदर्थ नियुक्त पूर्वोक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा (स्थान का नाम) पर दिनांक 20 को बजे लिए जाएंगे,
- (5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना, यथास्थिति, पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा तदर्थ नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को (स्थान का नाम) पर और जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा तदर्थ नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को (स्थान का नाम) पर दिनांक 20 को 3.00 बजे अपराह्न से पूर्व परिदत्त की जा सकेगी,
- (6) यदि आवश्यक हुआ (यानि निर्वाचन लड़े जाने की दशा में) तो दिनांक 20 को 8.00 बजे पूर्वाह्न और 5.00 बजे सांय के मध्य प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट पंचायत या पंचायतों के मुख्यालयों और (पंचायत मुख्यालय से भिन्न यदि कोई स्थान रखे गये हों तो उनके नाम) पर निश्चित मतदान बूथों पर मतदान होगा,
- (7) मतों की गणना दिनांक 20 को बजे पूर्वाह्न से (स्थान का नाम) पर की जाएगी।
- (8) सीटों के आरक्षण की स्थिति संलग्न स्टेटमेंट में वर्णित है।

स्थान

तारीख

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

(कलक्टर)